10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(64) 66

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी III/निगरानी/सिंगरौली/भू०रा०/2017/2974

① अब्दुल कुद्दूश पुत्र मोहम्मद फारूख
② ...
निवासी ग्राम बनियारी तहसील व जिला सिगरौली म0प्र0

——— आवेदक

श्री एस. पी. ... द्वारा आज दि. 22.08.17 को प्रस्तुत

28.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

——— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार सिंगरौली जिला सिगरौली के प्र.क. 82/अ–6/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम वनियाशी तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115–116 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण कमांक 82/अ–6/1991–92 पर पंजीवद्ध किया किया गया। विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्राप्त नही हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पिड़रवाह तहसील सिगरौली की भूमि आराजी सर्वे नं. 975/3 रकवा 1.214 एकड़ एवं 1080/6 रकवा 3.75 एकड़ कुलकिता 2 कुल रकवा 4.964 एकड़ वर्ष 1956–57 लगायत

अण्डल कुर्ट्रा / शर्मा

(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2974 / 17 / सिंगरौली / भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 24/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 82/अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 03/03/1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19	